



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(64) परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2012/ 2076 जयपुर दिनांक:- 4/11/19

—:आदेश:—

श्री धीरज कुमार, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के अन्तर्गत आज्ञा क्रमांक प. 1(9)वित्त/राजस्व/2013-14, 2014-15 दिनांक 30.6.19 द्वारा राजस्थान लेखा सेवा में किया गया है। श्री धीरज कुमार द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदाधिकार सुरक्षित रखते हुये राजस्थान लेखा सेवा हेतु कार्यमुक्त करने हेतु विभाग को अनुरोध किया गया है।

अतः श्री धीरज कुमार को राजस्थान लेखा सेवा में चयन होने से राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान लेखा सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

(गौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवम् निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को उनकी आज्ञा क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व /2013-14, 2014-15 दिनांक 30.6.19 एवं 16.7.19 के क्रम में सूचनार्थ।
9. संभागीय आयुक्त कोटा।
10. जिला कलेक्टर बारां।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा-1)